वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 35/2020 दिनांक: अक्टूबर, 06/2020

प्रेस नोट

दिनांक 05.10.2020 को क्राइम ब्रांच एवं थाना लंका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा खेल रहे तीन अभियुक्त दिवाकर अग्रवाल, सिद्धार्थ मिश्रा व अभय प्रताप सिंह गिरफ्तार, कब्जे से रू0 6,23,000/- (छः लाख तेईस हजार रुपया) नगद व 06 अदद मोबाईल फोन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक अपराध व क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भेलूपुर के नेतृत्व में दिनांक 05.10.2020 को क्राइम ब्रान्च वाराणसी व थाना लंका की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा खेलते हुए तीन अभियुक्तों 1.दिवाकर अग्रवाल पुत्र स्व0 आनन्द स्वरुप नि0 मकान नं0 1/611 चौक पक्की थाना रामनगर वाराणसी, 2. सिद्धार्थ मिश्रा पुत्र राम प्रकाश मिश्रा निवासी 324/1 भगवानपुर कालोनी थाना लंका वाराणसी व 3. अभय प्रताप सिंह उर्फ मोनू पुत्र अच्यूतानन्द सिंह नि0 भगवानपुर कैलाशपुरी कालोनी थाना लंका वाराणसी को भगवानपुर कैलाशपुरी कालोनी से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 06 अदद मोबाईल फोन व रू0 6,23,000/- (छः लाख तेईस हजार रुपया) नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0655/2020 धारा 3/4/5 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के क्रम में पकड़े गये अभियुक्तों ने बताया कि वाराणसी में हम लोग आईपीएल में सट्टा खेलवाने का काम करते है, हम लोग इसी घर में बैठकर मोबाईल से बात कर सट्टा का रेट तय करके आईपीएल मैचो में प्रतिदिन सट्टा खेलने व खेलवाने का काम करते है। सट्टे मे पैसा लगाने वालों से पैसा एकत्रित करने व उनके जीतने पर उनका पैसा पहुचाने का काम हम लोग करते हैं। यह सभी काम इसी घर से मोबाइल से वार्ता कर करते है। रेट मैच के शुरुआत मे तय हो जाता है उसके अनुसार हार-जीत के मुताबिक पैसा वसूलते है। दिनांक 05.10.2020 को रायल चैलेन्जर बैंगलोर व दिल्ली कैपिटल का मैच था, सभी पार्टियों से पैसा लगवाये थे, यह जो पैसा हम लोगों के पास से जो रुपये बरामद हुए है वह इसी आईपीएल मैच में लगे सट्टे के वसूली के पैसे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. दिवाकर अग्रवाल पुत्र स्व0 आनन्द स्वरुप निवासी म0नं0-1/611 चौक पक्की रामनगर थाना रामनगर वाराणसी
2. सिद्धार्थ मिश्रा पुत्र डा0 रामप्रकाश मिश्रा नि0-म0न0-324/1 भगवानपुर कालोनी थाना लंका वाराणसी

3. अभय प्रताप सिंह उर्फ मोनू पुत्र स्व0 अच्यूतानन्द सिंह निवासी भगवानपुर कैलाशपुरी कालोनी थाना लंका वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

1. 06 अदद मोबाईल फोन
2. रू0 6,23,000/- (छः लाख तेईस हजार रुपया) नगद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अश्वनी पाण्डेय (प्रभारी क्राइम ब्रांच), उ0नि0 अरुण प्रताप सिंह (सर्विलांस प्रभारी), हे0का0 पूनदेव सिंह, हे0का0 सुरेन्द्र मौर्य, का0 रामबाबू, का0 जितेन्द्र सिंह, का0 विनय सिंह, का0 आलोक मौर्या, का0 शिवबाबू, का0 मृत्युन्जय सिंह, का0 अमित शुक्ला, का0 अनूप कुशवाहा, का0 बालमुकुन्द मौर्या व का0 सूरज सिंह क्राइम ब्रांच वाराणसी।
2. प्र0नि0 महेश पाण्डेय, उ0नि0 श्रीमन नारायण पाण्डेय, का0 अमित सिंह, का0 भानू प्रताप सिंह व का0 केतन कुमार मौर्या थाना लंका वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 36/2020 दिनांक: अक्टूबर, 06/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 06.10.2020 को थाना आदमपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर भदऊँ चुंगी तिराहे के पास से संजय कुमार मौर्या पुत्र बसन्त लाल मौर्या निवासी एन 11/9 सी-1 रानीपुर छित्तूपुर महमूरगंज थाना भेलूपुर वाराणसी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 109/2020 धारा 41/411/413/414 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं अकेले ही मोटरसाइकिल चोरी कर बेचता हूँ। विभिन्न जगहों से चुराकर मोटरसाइकिलों को चन्दौली व बिहार में बेच देता हू और उससे प्राप्त पैसे से अपना जीवन यापन करता हूँ। चोरी की मोटर साइकिल को खरीदने वाले व्यक्तियों के नाम पता की जानकारी मुझें नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- संजय कुमार मौर्या पुत्र बसन्त लाल मौर्या निवासी N 11/9 C-1 रानीपुर छित्तूपुर महमुरगंज थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- मोटरसाइकिल हीरो आई स्मार्ट रंग सिल्वर हरा जिसके नम्बर प्लेट पर UP 65 BR 6095 अंकित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव प्रभारी चौकी आदमपुर, का01598 राकेश सिंह व का0 1896 विजय शंकर गुप्ता थाना आदमपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 37/2020 दिनांक: अक्टूबर, 06/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वाराणसी व क्षेत्राधिकारी बड़ागांव के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद वाराणसी में अपराध/ अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 05.10.2020 को थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 260/2020 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी केशवपुर सरपतहाँ थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही उम्र करीब 20 वर्ष को ग्राम आषाढ़ सोनू सिंह का आवास थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी से समय करीब 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये 03 अदद मोबाइल व 02 अन्य मोबाइल बरामद किये गये। अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त सोनू सिंह के साथ ग्राम लालपुर में वादी मुकदमा राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 भोथू सिंह निवासी लालपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी के घर से दिनांक 26/27-09.20 को 5 मोबाइल चोरी किये थे। जिसमें से 03 मोबाईल बरामद किये गये हैं, शेष 02 मोबाइल सह-अभियुक्त सोनू सिंह के पास होना बताया गया है। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- विशाल सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी केशवपुर सरपतहाँ थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- कुल 05 अदद चोरी के मोबाईल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्र0नि0 सुनील दत्त दुबे, उ0नि0 ब्रजेश सिंह, उ0नि0 उमेश कुमार राय, का0 सत्यप्रकाश गोंड़ व का0 हरिराम यादव थाना मिर्जामुराद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 38/2020 दिनांक: अक्टूबर, 06/2020

प्रेस नोट

उ0प्र0 सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में वाराणसी पुलिस को मिला प्रथम स्थान

उ0प्र0 सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) से प्राप्त शिकायतों को *जनपद वाराणसी पुलिस द्वारा समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने में पूरे प्रदेश में लगातार तीसरी बार माह सितम्बर-2020 की जारी की गयी रैकिंग में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। जनपद वाराणसी पुलिस के जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भों का मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय से मूल्यांकन किये जाने पर उ0प्र0 के सभी 75 जनपदों में जनपद वाराणसी की कार्यवाही 100% रही और रैंक प्रथम रहा।* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा स्वयं जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण हेतु जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारियों को सदैव निर्देशित किया जाता है और जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) के कार्यों की स्वयं मानिटरिंग की जाती है।

जनसुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को पुलिस कार्यालय में गठित आईजीआरएस सेल द्वारा संबंधित थानों पर ऑनलाइन प्रेषित की जाती है। थाना प्रभारी द्वारा प्राप्त सन्दर्भों की जाँच आख्या ऑनलाइन दिये गये समय के अनुसार संबंधित को प्रेषित की जाती है तथा जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) से प्राप्त शिकायतों को पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल प्रभारी आईजीआरएस के निर्देशन व पुलिस कार्यालय में स्थित आईजीआरएस सेल के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा लगनशील व कर्तव्यनिष्ठ रहकर सम्पादित किया जाता है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 39/2020 दिनांक: अक्टूबर, 06/2020

प्रेस नोट

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पासपोर्ट सत्यापन/ प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण/ विवेचना/ चरित्र प्रमाण पत्र/ शस्त्र लाइसेंस या अन्य किसी कार्यवाही हेतु यदि किसी पुलिस कर्मी द्वारा अवैध धन की मांग की जाती है तो कृपया गोपनीय रूप से उसकी सूचना मोबाईल नं0-7897532425 पर Whatsapp के माध्यम से दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जायेगी। आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से भ्रष्टाचार एवं अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने में सहयोग प्राप्त होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 40/2020 दिनांक: अक्टूबर, 06/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 06-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 27 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *55 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1654 वाहनों का चालान, 08 वाहनों को सीज तथा 152 वाहनों से रु0-1,14,900/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 06-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 775 व्यक्तियों से रु0-26,800/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।